<u>आरतीय मानक ब्यूरो</u> (स्थापना विभाग)

मानक भवन,

9, बहादुर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

संदर्भ:Estt-V/जी-3:2/2022

दिनांक: 12.04.2022

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारी को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है / It has been decided to transfer the following official as per detail given below:

क्रं.सं.	कर्मचारी सं.	नाम एवं पद	स्थानांतरण	
			से	में
1.	032026	Shri Parvind Kumar, MTS	NOBO, Noida	WROL, Mumbai

- 2. वे अपनी पोस्टिंग के अपने वर्तमान स्थान से दिनांक 12.04.2022 (अपराहन) में कार्यमुक्त होंगे और दिनांक 13.04.2022 (पूर्वाहन) में पोस्टिंग के अपने नये स्थान पर डयूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। They shall be STAND Relieved from their present place of posting in the afternoon of 12.04.2022 and shall report for duty at their new place of posting in the forenoon of 13.04.2022.
- 3. उपरोक्त कर्मचारी नियमानुसार स्थानांतरण लाभ, जोइनिंग टाइम, आदि पाने की हकदार होंगे तथा अपने स्थानांतरण से पहले सीजीएस कार्ड, किताब/प्रकाशन, यदि कोई हो, जोकि उन्होंने अपने नाम से जारी कराई हैं, तो विभाग को वापस करेंगें। उनके लिये यह आवश्यक है कि वह स्थानांतरित होने से पहले अपने सभी देय समायोजनों जैसे कि चिकित्सा, एल.टी.सी., यात्रा भता, आदि का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगें। Above official shall be entitled to all transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc. as admissible under the rules and shall return CGHS Card(s), any book or publication borrowed by them, if any, before their relieving. They are required to settle the due adjustments i.e. TA/DA, LTC, Medical, etc. in accordance with the relevant rules and regulations before relieving.
- 4. उनके लिय यह आवश्यक है कि वह अपनी ड्यूटी ग्रहण रिपोर्ट अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से स्थापना विभाग (estt@bis.gov.in) तथा साथ ही एक कॉपी निदेशक (वित्त) (fin@bis.gov.in) को प्रेषित करेंगे। They are required to send their Joining Report through Departmental Head to Establishment Department (estt@bis.gov.in) together with a copy endorsed to Director (Finance) (fin@bis.gov.in), in due course.
- 5. यह आदेश, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन सेजारी किया जा रहा है। This issues with the approval of Competent Authority.

(एन. रवि शंकर)

निदेशक (स्थापना)

All above concerned officials

कापीप्रेषित:

- i) DDGA Sectt
- ii) All concerned Activity Heads
- iii) All concerned HODs
- iv) Director (Accounts)
- v) Director (Finance)
- vi) ITS Deptt.
- vii) Leave File
- viii) SOE-IV for HFMS updation.